

२०१७/०६०६७

18

महेन्द्र / वकील


न्यायालय उप खण्डाधिकारी सैपऊ

प्रकरण संख्या : /2017

बमुक0 महेन्द्र बनाम बद्री बगौरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा  
212 आर टी एक्ट

9.06.2017 प्रार्थना पत्र बाद जांच कार्यालय से पेश हुआ। वकील सायल उपस्थित। वकील सायल को सुना। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 06.07.2017 को पेश हो



6/7/17 पत्रावली पेश। पोसाख राजस्व लोक न्यायालय में पेश। कानूनबद्ध पत्रावली जता देखा बुझा दिनांक 10/8/17 को पेश हो

10-8-17 दिनांक 10-8-17 को इज्जत गरीब पेशी नियम होने के कारण आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में कोई तार-तानाजें लगवाई गईं बाकबूद आवाजों के सम्बन्ध में उनके मादी में से कोई उफो नहीं। अतः प्रा. पत्र सायल आदम हाजिरी व आदम पेशी में खार्जिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तल दफ्तल है।

